

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 06/2024

No.2024/ACI/6/2/SCT

New Delhi, Dated: 28/02/2024

The PFAs,

- | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1.CR/Mumbai. | 2.ER/Kolkata. | 3.ECR/Hajipur |
| 4.ECoR/Bhubaneswar. | 5.NR/NewDelhi | 6.NCR/Prayagraj |
| 7.NER/Gorakhpur. | 8.NFR/Maligaon/Guwahati. | 9.NWR/Jaipur. |
| 10.SR/Chennai | 11.SCR/Secunderabad, | 12.SER/Kolkata. |
| 13.SECR/Bilaspur. | 14.SWR/Hubli. | 15.WR/Mumbai. |
| 16.WCR/Jabalpur. | 17.Metro/Kolkata. | 18.CLW/Chittaranjan. |
| 19.BLW/Varanasi. | 20.PLW/Patiala. | 21.ICF/Chennai. |
| 22.RCF/Kapurthala. | 23.MCF/Raebareli. | 24.RE/Prayagraj. |
| 25.RWF/Bangalore. | 26.RWP/Bela | |
| 27.COFMOW/New Delhi. | 28.MTP/Chennai. | |

Sub:- Submission of Preliminary Account Current for and to end of March, 2024.

Controller General of Accounts, Ministry of Finance has issued the schedule of submission of annual accounts for 2023-24. Accordingly, arrangements may be made to ensure the submission of Preliminary Account Current for March 2024 along with all schedules and statements by 12.04.2024. The same should be emailed to sao1@rb.railnet.gov.in.

2. The following details (a, b, and c) should be advised in the aforementioned email:-

- Gross Traffic Receipts by each head i.e. Passenger, Other Coaching, Goods, Sundry, and Suspense (including Demands Recoverable)
- Working Expenses Gross, Credit, and Net by each Grant; and
- Works Expenditure by Plan Heads and by each source of financing i.e. Capital, Capital Fund, DRF, DF, RSF, RRSK, along with ANNEXURE A and details of Credit and Recoveries under each Plan Head.

3. In case, the Final Closing statements of Reserve Bank of India, Nagpur for March, 2024 are not available in time, the Preliminary Account Current should be compiled based on the information available at RBI's website and that available with your office such as Debit Scrolls, Credit Scroll and Advices of Clearance issued by RBI, CAS, Nagpur for March, 2024 received at that stage and sent to Board's office in time. The changes of magnitude in the Preliminary Account found necessary on receipt of the aforesaid statements from the RBI, Nagpur should also be advised immediately on receipt.

Contd...2/

4. The preliminary Accounts may be prepared in the manner in which the single account current is prepared. Adjustment transactions may be carried out and journalized on IPAS as per e-Recon schedule.

5. **Only one Correction slip shall be allowed by CGA to the preliminary account. The schedule for this will be advised separately.**

6. The following instructions are to be kept in view while compiling the Preliminary Account Current for March, 2024:-

i. **Exhibition of Appropriation to DRF, Pension Fund**

The appropriation from revenue to 'DRF' and 'Pension Fund' should be shown as distinct items against the appropriate head in the Preliminary Account Current as per RE. Similarly, appropriation to 'Pension Fund' by charge against Miscellaneous Establishments and Audit and transfers from contributory Provident Fund to Pension Fund, if any, should also be shown distinctly against the appropriate head of Account.

ii. **Cash Balance**

The closing cash balance as on 31.3.2024 to be adopted in the Preliminary Account Current for March, 2024 should be based on 'ACTUALS' cash balance which will be available on the railways/units by the time the Preliminary Account current and Actual Revenue/Capital Account Current for March, 2024 are compiled. **All Zonal Railways/Production Units should close their Cash Book by 5th April 2024. Railways may ensure 'Zero' Cash in Transit (CIT) before the closure of Cash Book.** Necessary arrangements may accordingly be made in consultation with Commercial Branch. It should be ensured that the closing cash balance appearing in Preliminary Account Current and Actual Revenue/Capital Account Current for March, 2023 agree with each other as also with the opening cash balance on 1.4.2023 which will be reflected in April, 2023 Accounts. The above exercise must be completed before submission of the Preliminary Account Current for March, 2024.

iii **Steps to be taken**

- a. The Cash Book shall be closed by 5th April' 2024.
- b. The Account Current will be submitted based on data available in IPAS for Zonal Railways and Production Units, on 12th April' 2024
- c. The stores monthly summary will be settled in Account Current by 5th April' 2024.
- d. The adjustment/transfer transactions are to be settled within the e-recon schedule given below. **However Maximum possible transfer transactions and JV preparation should be carried out daily instead of keeping a backlog for the last week.**

iv. E-Recon Schedule for March 2024 Preliminary Account:


| <u>Events</u> | <u>End Date</u> | <u>End Time</u> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Upload Cash Transactions | 05-04-2024 | 16:00 hrs. |
| Generate Outward TC | 05-04-2024 | 16:00 hrs |
| Send TC For Approval from Draft | 05-04-2024 | 16:00 hrs. |
| Approve Outward TC | 05-04-2024 | 16:00 hrs. |
| Accept Inward TC | 05-04-2024 | 19:00 hrs. |
| Distribute TC | 05-04-2024 | 19:00 hrs |
| Return Inward TC | 05-04-2024 | 19:00 hrs. |
| Send to Referee | 05-04-2024 | 20:00 hrs. |
| Generate JV | 07-04-2024 | 18:00 hrs. |

Note: No Inter Railway Transaction shall be allowed after the above schedule.

- v. The WGR and WMS transactions are to be compiled by 4th April' 2024 for their incorporation into Account Current.
- vi. CRIS will generate the earnings matrix for Goods (Booked and Carried basis) by 4th April 2024 and Carried basis final on 5th April' 2024 for adjustment in March accounts.
- vii. The apportionment matrix for PRS and UTS will be made available by CRIS by 4th April 2024.
- viii. The Balance Sheets are to be submitted as per provision in Chapter 27 of the Indian Railways Code for Accounts Department Vol.II.
- ix. The Financial Review and Preliminary Account Current should be submitted in IPAS by 12th April' 2024 by all Zonal Railways and Production Units.
- x. CRIS will generate an Account Current for Railway Board by aggregating Zonal Railway and Production Units Account Currents on 12th April' 2024.
- xi. Subsequent adjustment transactions in March/24 account will be carried out through one correction slip for which IPAS will enable upload of the adjustment JV at appropriate stages.
- xii. Further, the Financial Review for preliminary March 2024 (Capital and Revenue) may be submitted on IPAS also on 12th April 2024, without fail.
7. After submission the Preliminary Account Current for March, 2024 in IPAS module, the same with all schedules and statements in connection therewith should be emailed to saol@rb.railnet.gov.in by 12.04.2024.

Note: Interest-bearing funds (DRF, DF, CF, Pension Fund, and DSF) kept in the Public Account will carry interest at the rate of 3.35% (provisional) per annum.

Please acknowledge receipt and ensure compliance.


(Vipul Tripathi)
Director (Accounts)
Railway Board

Copy to:-

1. Manager, Reserve Bank of India, Central Accounts Sections, Nagpur for information and necessary action.
2. Accounts-IV (BO) Section, Railway Board for information and necessary action.
3. Director General (Railway Board Audit), Railway Board, New Delhi-110001.
4. GM/Finance, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

आरबीए सं 06/2024

सं. 2024/एसी/6/2/एससीटी

नई दिल्ली, दिनांक: 28/02/2024

प्रधान वित्त सलाहकार,

- | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. मरे/मुंबई | 2. पूरे/कोलकाता | 3. पूमरे/हाजीपुर |
| 4. पूतरे/भुवनेश्वर | 5. उरे/नई दिल्ली | 6. उमरे/प्रयागराज |
| 7. पूर्वरे/गोरखपुर | 8. पूर्वोसीरे/मालीगांव/गुवाहाटी | 9. उपरे/जयपुर |
| 10. दरे/चेन्नै | 11. दमरे/सिकंदरबाद | 12. दपूरे/कोलकाता |
| 13. दपूमरे/बिलासपुर | 14. दपरे/हुबबली | 15. परे/मुंबई |
| 16. पमरे/जबलपुर | 17. मेट्रो/कोलकाता | 18. चिरेका/चित्तरंजन |
| 19. बरेका/वाराणसी | 20. पीएलडब्ल्यू/पटियाला | 21. सडिका/चेन्नै |
| 22. रेडिका/कपूरथला | 23. आ.रे.डि.का/रायबरेली | 24. रेल विद्युतीकरण/प्रयागराज |
| 25. रेपका/बेंगलुरु | 26. आरडब्ल्यूपी/बेला | 27. काफमो/नई दिल्ली |
| 28. एमटीपी/चेन्नै | | |

विषय: मार्च 2024 के लिए तथा अंत तक के प्रारंभिक चालू लेखा प्रस्तुत करना।

महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ने 2023-24 के वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने की समय अनुसूची जारी की है। तदनुसार, कृपया मार्च 2024 के लिए सभी अनुसूचियों और विवरणों के साथ प्रारंभिक चालू लेखों को 12.04.2024 तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाए। इसको sao1@rb.railnet.gov.in पर ईमेल किया जाए।

2. निम्नलिखित विवरणों (क, ख, ग) को एक साथ सूचित किया जाए:-

क. प्रत्येक शीर्ष अर्थात् यात्री, अन्य कोचिंग, माल, फुटकर और उचंत द्वारा सकल यातायात प्राप्तियां (मांग वसूली योग्य सहित)

ख. प्रत्येक अनुदान द्वारा संचालन व्यय सकल, क्रेडिट और शुद्ध; तथा

ग. अनुलग्नक ए के साथ-साथ योजना शीर्ष और वित्तपोषण के प्रत्येक स्रोत अर्थात् पूंजी, पूंजी निधि, डीआरएफ, डीएफ, आरएसएफ, आरआरएसके द्वारा संचालन व्यय और प्रत्येक योजना शीर्ष के तहत क्रेडिट और वसूली का विवरण।

3. यदि, मार्च, 2024 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के अंतिम अंत शेष विवरण समय पर उपलब्ध नहीं हो तो प्रारंभिक चालू लेखा को आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और जो आपके कार्यालय के पास उपलब्ध है जैसे डेबिट स्कॉल, क्रेडिट स्कॉल और मार्च, 2024 के लिए आरबीआई, सीएस, नागपुर द्वारा जारी क्लियरेंस की सूचना जो उस चरण में प्राप्त की गई हो और समय पर बोर्ड कार्यालय को भेजी गई हो, के आधार पर संकलित किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर से उक्त विवरणों के प्राप्त होने पर आवश्यक पाए गए प्रारंभिक चालू खाते में परिमाण के परिवर्तन को भी प्राप्त होने पर तुरंत सूचित किया जाए।

4. प्रारंभिक लेखा सामान्यतः उस तरीके से ही बनाया जाए, जिस तरह एकल चालू खाता बनाया जाता है। समायोजन लेन-देन किए जाए और ई-समाधान अनुसूची के अनुसार आईपीएस पर दर्ज किए जाए।

5. सीजीए द्वारा प्रारंभिक लेखे के लिए केवल एक शुद्धि पर्ची की अनुमति दी जाएगी। इसकी समय अनुसूची अलग से सूचित की जाएगी।

6. मार्च, 2024 के लिए प्रारंभिक चालू लेखे के संकलन के समय कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखा जाए:-

i) मूआनि, पेंशन निधि के लिए विनियोग प्रदर्शित करना

राजस्व से मूआनि और पेंशन निधि के लिए विनियोग को प्रारंभिक चालू लेखे में स.अ. के अनुसार उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत अलग-अलग मदों के रूप में दिखाया जाए। इसी प्रकार, विविध स्थापनाओं और लेखा परीक्षा के तहत प्रभार्य पेंशन निधि के लिए विनियोग और अंशदायी भविष्य निधि से पेंशन निधि में अंतरण, अगर कोई हो, को भी उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत स्पष्ट रूप से दिखाया जाए।

ii. नकद शेष

31.3.2024 की स्थिति के अनुसार अंत नकद शेष मार्च, 2024 के लिए प्रारंभिक चालू लेखे में अंगीकृत किए जाने वाले 'वास्तविक' नकद शेष पर आधारित होगा और मार्च 2024 के लिए प्रारंभिक चालू लेखे और वास्तविक राजस्व/वर्तमान पूंजी लेखे का संकलन होने तक रेलवे/इकाइयों पर उपलब्ध होगा। सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को अपनी रोकड़ बही को 5 अप्रैल 2024 तक बंद करना होगा। रेलवे को रोकड़ बही के बंद करने से पहले ट्रांसिट (सीआईटी) में "शून्य" नकद राशि सुनिश्चित करनी होगी। तदनुसार, वाणिज्यिक विभाग के परामर्श से आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मार्च, 2023 के लिए प्रारंभिक चालू लेखा और वास्तविक राजस्व/वर्तमान पूंजी लेखा चालू में दिखाई देने वाली अंत नकद शेष एक दूसरे के साथ-साथ 1.4.2023 को प्रारंभिक नकद शेष के साथ मिलान हो, जो अप्रैल, 2023 लेखों में परिलक्षित होगा। उपरोक्त कार्य मार्च, 2024 के लिए वर्तमान प्रारंभिक लेखा जमा करने से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए।

iii. उठाए जाने वाले कदम

क. 5 अप्रैल 2024 तक रोकड़ बही बंद की जाए।

ख. चालू लेखों को क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के लिए आईपीएस में उपलब्ध डेटा के आधार पर 12 अप्रैल, 2024 को प्रस्तुत किया जाए।

ग. चालू लेखों में भंडार मासिक सारांश का निपटान 5 अप्रैल, 2024 तक किया जाएगा।

घ. समायोजन/अंतरण लेन-देन को नीचे दी गई ई-समाधान समय अनुसूची के भीतर निपटाया जाए।
बहरहाल, अधिकतम संभव अंतरण लेनदेन और जर्नल वाऊचर की तैयारी एक सप्ताह के बैकलॉग रखने के बजाय दैनिक रूप से की जाए।

iv. मार्च, 2024 के प्रारंभिक चालू लेखों के लिए ई-समाधान समय अनुसूची

| मद | अंतिम तिथि | अंतिम समय |
|------------------------------------|------------|-----------|
| नकद लेन-देन अपलोड करना | 05-04-2024 | 16:00 बजे |
| जावक टीसी जेनरेट करना | 05-04-2024 | 16:00 बजे |
| मसौदे से अनुमोदन के लिए टीसी भेजना | 05-04-2024 | 16:00 बजे |
| जावक टीसी अनुमोदित करना | 05-04-2024 | 16:00 बजे |
| आवक टीसी स्वीकार करना | 05-04-2024 | 19:00 बजे |
| टीसी वितरण | 05-04-2024 | 19:00 बजे |
| आवक टीसी लौटाना | 05-04-2024 | 19:00 बजे |
| रेफरी को भेजना | 05-04-2024 | 20:00 बजे |
| जर्नल वाऊचर सृजित करना | 07-04-2024 | 18:00 बजे |

नोट: उपरोक्त समय अनुसूची के बाद किसी भी अंतर रेलवे लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

v. डब्ल्यूजीआर और डब्ल्यूएमएस के लेन-देन को 4 अप्रैल 2024 तक संकलित किया जाए ताकि इसे चालू लेखों में शामिल किया जा सके।

vi. आय के लिए डेटा को वर्तमान में अनुमानित लेखों के रूप में लिया जाएगा। क्रिस 4 अप्रैल 2024 तक माल (बुक किए गए और अग्रणीत आधार पर) के लिए आय मैट्रिक्स जेनरेट करेगा और मार्च लेखों में समायोजन के लिए 5 अप्रैल 2024 को अग्रणीत आधार पर अंतिम रूप से होगा।

vii. क्रिस द्वारा पीआरएस और यूटीएस का विनियोजन मैट्रिक्स 4 अप्रैल 2024 तक उपलब्ध कराया जाएगा।

viii. तुलन-पत्रों को भारतीय रेल लेखा विभाग संहिता जिल्द. II के अध्याय 27 में प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना होता है।

ix. वित्तीय समीक्षा और प्रारंभिक चालू लेखा सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा 12 अप्रैल 2024 तक आईपीएस में अपलोड किए जाएंगे।

x. क्रिस 12 अप्रैल 2024 को क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के लेखों को एकत्रित करके रेलवे बोर्ड के लिए एक चालू लेखा सृजित करेगा।

xi. मार्च/24 लेखें में बाद के समायोजन लेनदेन को एक शुद्धि पर्ची के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए आईपीएस उचित चरणों में जर्नल वाउचर के समायोजन को अपलोड करने में सक्षम होगा।

xii. इसके अलावा, प्रारंभिक मार्च 2024 (पूंजी और राजस्व) के लिए वित्तीय समीक्षा को आईपीएस पर 12 अप्रैल 2024 को बिना किसी विफलता के प्रस्तुत किया जाए।

7. आईपीएस मॉड्यूल में मार्च 2024 के लिए प्रारंभिक चालू लेखा अपलोड करने के बाद, इससे संबंधित सभी अनुसूची और विवरणों के साथ sao1@rb.railnet.gov.in पर 12.04.2024 तक ई-मेल किया जाए।

नोट: लोक लेखा में रखी गई ब्याज वहन करने वाली निधियों (डीआरएफ, डीएफ, सीएफ, पेंशन निधि और डीएसएफ) पर प्रति वर्ष 3.35% (अनंतिम) की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

कृपया पावती दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।



(विपुल त्रिपाठी)

निदेशक (लेखा)

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए
2. लेखा- IV(बीओ) अनुभाग, रेलवे बोर्ड को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
3. महानिदेशक (रेलवे बोर्ड ऑडिट), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली- 110001
4. महाप्रबंधक/वित्त, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।